इकाई 23 कृषि कराधान, साहाय्य और बीमा

संरचना

23.0 उद्देश्य

23.1 प्रस्तावना

23.2 करों के प्रकार

- 23.2.1 एकमुश्त कर
- 23.2.2 प्रति इकाई कर
- 23.2.3 मूल्यानुसार कर
- 23.2.4 उत्पादकों की आय पर कर

23.3 कृषि आय के लिए कर नीति

23.4 साहाय्य

- 23.4.1 साहाय्यों का औचित्य
- 23.4.2 साहाय्यों के प्रकार
- 23.4.3 अंतर्राष्ट्रीय प्रोफाइल

23.5 कृषि बीमा

23.6 सारांश

23.7 शब्दावली

23.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

23.9 बोध प्रश्नों के उत्तर/संकेत

23.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद, आप :

- भिन्न-भिन्न प्रकार के करों और उत्पादों तथा कीमतों पर उनके प्रभाव स्पष्ट कर सकेंगे;
- कृषि आय पर कर नीति के मुख्य मुद्दों पर चर्चा कर सकेंगे तथा इन मुद्दों से निपटने के लिए प्रस्ताव दे सकेंगे;
- कृषि साहाय्यों की संकल्पना, तर्काधार और प्रकारों का वर्णन कर सकेंगे;
- साहाय्यों के विरुद्ध दिए गए तर्कों का उल्लेख कर सकेंगे तथा कृषि साहाय्यों का अंतर्राष्ट्रीय प्रोफाइल प्रस्तुत कर सकेंगे;
- कृषि बीमा की सुस्पष्ट विशेषताएँ बता सकेंगे; और
- भारत में क्रियान्वित की जा रही कृषि बीमा की मुख्य विशेषताएँ बता सकेंगे।

23.1 प्रस्तावना

सरकार करों के माध्यम से लोगों से रुपए एकत्र करती है। साहाय्यों के माध्यम से यह जरूरतमंदों को धन का अंतरण भी करती है। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि जो लोग कर देते हैं, वे साहाय्यों से लाभान्वित हों। साहाय्य इस तरीके से लोगों को अंतरित किए जाते हैं, जिससे असमानता की समस्या का समाधान हो। इसके अलावा, कराधान द्वारा सरकार सार्वजनिक महत्त्व की सेवाओं (जैसे, सड़क, बाजार, उपयोगिता सेवाओं आदि) पर अपने विभिन्न अन्य व्यय के वित्त पोषण के लिए आय उत्पन्न करती है। यह दक्ष आर्थिक कार्यकरण के लिए आवश्यक महत्त्वपूर्ण आधारभूत सेवाएं प्रदान करता है। इस प्रकार, कर और साहाय्य, एक ओर ''सामाजिक न्याय'' के लिए समता के दोहरे उद्देश्य प्राप्त करने और दूसरी ओर, माल और सेवाओं के उत्पादन के लिए निवेश आकर्षित करने का बुनियादी माध्यम प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा प्रयुक्त दो साधन हैं। यद्यपि ये करों और साहाय्यों के दो प्रत्यक्ष उद्देश्य हैं, परंतु उगाही किए गए करों के स्तर का उत्पादन के स्तर पर प्रभाव होता है। यदि कर बहुत भारी और बोझिल हैं तो उत्पादक उत्पादन करने का प्रोत्साहन खो देंगे। यह निम्न वृद्धि से अर्थव्यवस्था को रोक देगा, इसके परिणाम में बेरोजगारी जैसी मुश्किलें उत्पन्न होंगी। इसके अलावा, प्रायः कीमतों और मांग के घट-बढ़ से उत्पन्न होने वाली अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण उत्पादकों को हानि हो सकती है। यहां पर उत्पादों को उनकी हानि में से कुछ क्षतिपूर्ति करने के लिए बीमा सहायता के लिए आता है। करों, साहाय्यों और बीमा की अन्यान्यक्रिया साधारणतया आर्थिक प्रणाली के दक्ष कार्यकरण निर्धारित करती है। इस इकाई में, हम पहले करों के विभिन्न प्रकारों और कीमतों तथा उत्पादन पर उनके प्रभावों पर विचार करेंगे। फिर हम सरकार की कृषि कर नीति पर सरसरी तौर पर चर्चा करेंगे। तद्नुपरांत कृषि साहाय्य के तर्काधार और इसके भिन्न-भिन्न प्रकारों और अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में यह किस प्रकार दिखता, पर चर्चा करेंगे। अंत में, कृषि बीमा (कृषीत्तर उत्पादों से भिन्न) की विशेषता विनिर्दिष्ट करने में की गई चर्चा के संदर्भ में हम भारत में प्रचालित भिन्न-भिन्न कृषि बीमा प्रकारों पर विचार करेंगे। उपर्युक्त रूपरेखा के अनुसार कराधान और साहाय्य नीतियों के नियत उद्देश्य से यह स्पष्ट है कि सरकार को अपनी कर नीतियां इस प्रकार बनानी चाहिएं कि यह आर्थिक वृद्धि और सामाजिक कल्याण के लिए सहायक हो। इस दृष्टि से हम इकाई में विश्लेषण करेंगे : क्या भारत में सरकार ने कृषि सेक्टर के विकास के लिए कराधान और साहाय्य साधनों का प्रयोग दक्षतापूर्वक किया है?

23.2 करों के प्रकार

साधारणतया करों के चार प्रकार हो सकते हैं। ये हैं : (i) एकमुश्त कर; (ii) (उत्पादकता) प्रति इकाई कर; (iii) मूल्यानुसार कर; और (iv) लाभ कर। इस भाग में हम विश्लेषण करेंगे कि इनमें से प्रत्येक कर उत्पादक के उत्पाद और मूल्य निर्णयों को कैसे प्रभावित करते हैं। हम पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाजार की कल्पना कर रहे हैं। इसका आशय है कि अकेला एक उत्पादक बाजार में कीमत प्रभावित नहीं कर सकता है क्योंकि वह पूरे बाजार की तुलना में बहुत छोटा है। दूसरा, उत्पाद में कोई भिन्नता नहीं है, अर्थात् उत्पादक द्वारा बेचा गया उत्पाद किसी

अन्य उत्पादक के उत्पाद के समरूप है। पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाजार में, उत्पादक (इस मामले में किसान) कीमत ग्रहणकर्त्ता है क्योंकि वह विद्यमान बाजार कीमत स्वीकार करता है। विद्यमान कीमत पर वह जितना चाहे, उतना बेच सकता है। दूसरी ओर, यदि उत्पादक को एकाधिकार शक्ति प्राप्त है तो वह आपूर्ति सीमित कर बाजार कीमत को प्रभावित कर सकता है। भारतीय कृषि के मामले में, यदि हम किसानों को पर्याप्त प्रतिलाभ सुनिश्चित करने के लिए लाभकारी कीमतें नियत करने के बारे में सरकार के हस्तक्षेप की उपेक्षा करते हैं, तो बाजार पूरा प्रतिस्पर्धी स्थिति का सामना करता है। ऐसे किसान बहुत हैं जिनमें से प्रत्येक बाजार को कुल आपूर्ति की नगण्य मात्रा आपूर्ति करते हैं। इसके अलावा, उत्पाद अधिकांशतः स्वरूप में एक जैसे होते हैं। इसलिए कोई भी अकेला किसान बाजार भाव को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता।

23.2.1 एकमुश्त कर

एकमुश्त कर उत्पादित उपज के स्तर पर ध्यान दिए बिना उत्पादकों पर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, किसान-उत्पादक को 1000 रुपए कर के रूप में देना आवश्यक हो सकता है, भले ही, उसने कितनी भी अधिक मात्रा में उपज पैदा की हो। इस मामले में यद्यपि कर से उत्पादक की लागत बढ़ जाती है, परंतु यह स्थिर लागत है। हमें विदित है कि यद्यपि स्थिर लागत उत्पादन में लागत में जुड़ती है, परंतु यह वह लागत नहीं है जिस पर उत्पादित की जाने वाली कृषि उपज के स्तर पर किसान द्वारा निर्णय लिया जाता है। वह तो सीमांत लागत है जिसे उत्पादक द्वारा ध्यान में रखा जाता है। चूंकि सीमांत लागत किसान पर एकमुश्त लगाए गए कर द्वारा अप्रभावित होता है, इसलिए यह तब तक इसके उत्पादन निर्णय को प्रभावित नहीं करता है, जब तक यह बहुत अधिक नहीं होता है। परंतु बहुत अधिक एकमुश्त कर उत्पादन के लिए निरुत्साहन के रूप में कार्य करता है और उत्पादक के लाभ स्तर में पर्याप्त कमी कर सकता है। इस प्रकार सामान्य दृष्टि से एकमुश्त कर व्यक्तिशः किसान का उत्पाद स्तर प्रभावित नहीं करता है।

23.2.2 प्रति इकाई कर

प्रति इकाई कर उत्पादित उपज की इकाइयों पर कर के रूप में लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, उपज की प्रत्येक इकाई के लिए उत्पादक को 5 रुपये सरकार को देने आवश्यक हो सकते हैं। इस मामले में, उत्पादक कितना कर देता है, यह उत्पाद के स्तर पर निर्भर करता है। प्रति इकाई कर उत्पाद की अतिरिक्त इकाई (अर्थात् सीमांत लागत) उत्पादन करने की लागत को प्रभावित करता है, जो उत्पाद का स्तर निर्धारित करने में उत्पादक के लिए महत्त्वपूर्ण होता है। जिसके बाद कोई अधिक इकाई उत्पादित करना उसके लिए लाभकारी नहीं होता है। यह रेखाचित्र द्वारा (चित्र 23.1) दर्शाया जा सकता है जहां उत्पादित उपज की मात्रा क्षैतिज अक्ष के साथ निरूपित की गई है और कीमत/लागत ऊर्ध्व अक्ष पर मापी गयी है।

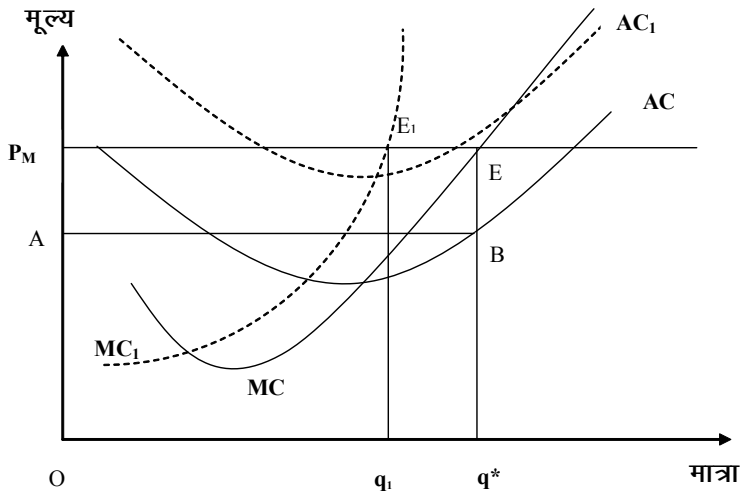

चित्र 23.1 : प्रति इकाई कर का प्रभाव

बाजार कीमत (P_M) इस कल्पना पर क्षैतिज सीधी रेखा के रूप में दिखाई गई है कि कम-से-कम अल्प समय के दौरान कीमतें पर्याप्त रूप से स्थिर रहती हैं। AC वक्र रेखा उत्पादन की औसत लागत और MC वक्ररेखा उत्पादन की सीमांत लागत सूचित करता है। यद्यपि AC को ''उत्पादित उपज की इकाइयों की संख्या द्वारा विभाजित कुल लागत'' के रूप में परिभाषित किया गया है। MC ''कुल लागत (वक्र रेखा के ''ढलान'' द्वारा प्रदत्त) में परिवर्तन की दर'' मापता है, यदि उत्पादक उपज का स्तर बढ़ाने का निर्णय करता है। उत्पादक का संतुलन उपज के उस स्तर पर है जहां MC और P_M का काट है जो बिंदु E पर हो रहा है। रेखा Eq* क्षैतिज अक्ष पर लंब है। इससे हमें उत्पाद का संतुलन स्तर Oq* मिलता है। उत्पाद के इस स्तर पर लाभ प्रति इकाई (जो औसत लागत तथा कीमत के बीच अंतर है) EB है। कुल अर्जित लाभ $EB \times Oq^* = ABEP_M$ का क्षेत्रफल है। यदि उत्पादित उपज ऐसे स्तर पर है जहां $MC < P_M$ (अर्थात् E के बाईं ओर) पर हो, वहां अनप्रयुक्त संभावना होती है जिसे उच्चतर आगम या लाभ अर्जित करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, उत्पादन की लागत प्रतिकूल रूप से बढ़ाए बिना अधिक इकाई उत्पादित कर लाभ बढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर, उत्पाद के स्तर पर जहां $MC > P_M$ (अर्थात् E की दाहिनी ओर), उत्पादक q तक उत्पाद का स्तर कम कर अपनी रणनीति संशोधित करने के लिए बाध्य हो जाता है।

प्रति इकाई कर लगाने से सीमांत और औसत लागत वक्र रेखाएं MC_1 और AC_1 तक ऊपर की ओर (उठ) जाएंगी। यह कटान बिंदु (P_M और MC_I के बीच) में E_1 (जो E के बाएं है) जाने से होता है। इस प्रकार, जब कर उत्पाद की प्रति इकाई के आधार पर लगाया जाता है, इससे उत्पाद स्तर में गिरावट आती है और परिणामतः उत्पादक का लाभ गिर जाता है।

23.2.3 मूल्यानुसार कर

मूल्यानुसार कर उत्पाद स्तर पर नहीं लगाया जाता है बल्कि बाजार में वसूल की गई कीमत पर लगाया जाता है। माना कि मूल्य रेखा '' P_M'' द्वारा दिखाई गई है। तब कर 't' लगाने के बाद कीमत (जो उत्पादक द्वारा प्राप्त की गई

है), $(1–t) \times P_M$ है। इस मामले में, यद्यपि दो लागत वक्र रेखाओं में परिवर्तन नहीं है। मूल्य रेखा P_M नीचे की ओर $(1–t) \times P_M$ तक जाती है। परिणामतः करोत्तर स्थिति में उत्पाद के लाभ में ह्रास है।

23.2.4 उत्पादकों की आय पर कर

उत्पादकों की आय उनके द्वारा अर्जित लाभ है जो कुल आगम ऋण कुल लागत के बराबर है। यदि लाभ का कर 't' प्रति इकाई लगाया जाता है, तब उत्पादक के पास लाभ का करोत्तर अंश रहता है जैसे $(1–t) \times$ लाभ। इस प्रकार यह कर लगाते समय उत्पाद का स्तर प्रभावित होने नहीं जा रहा है। परंतु उत्पादक की आय गिरती है। यदि यह कुछ न्यूनतम स्तर से नीचे गिरती है तो वह उत्पादन पैदा करने का प्रोत्साहन खो सकता है और उत्पादन पूरी तरह से बंद कर सकता है। दूसरे शब्दों में, उत्पादित उपज शून्य तक गिर सकती है। यह मामला 23.2.1 में उल्लिखित एकमुश्त कर मामले की समान है।

बोध प्रश्न 1

नीचे रिक्त स्थान में अपना उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए।

1) करों और साहाय्यों के दोहरे उद्देश्य क्या हैं? करों के स्तर को इष्टतम स्तर पर रखना क्यों आवश्यक है?

.....

.....

.....

.....

2) क्या आप सहमत हैं कि भारत में कृषि बाजार पूर्णतः प्रतिस्पर्धी है? क्यों?

.....

.....

.....

.....

3) एकमुश्त कर क्या है? क्या कर के इस प्रकार का उत्पादक किसान के उत्पाद स्तर पर कोई गंभीर प्रभाव होता है?

.....

.....

.....

.....

4) किस तरीके में ''औसत लागत'' ''सीमांत लागत'' से भिन्न है? इन दोनों

में से किसान-उत्पादक द्वारा उत्पादित किया जाने वाला उत्पाद का स्तर कौन निर्धारित करता है?

.....

.....

.....

.....

5) प्रति इकाई कर का भार दो लागत वक्र रेखाओं को कैसे प्रभावित करता है? इसके दो परिणाम क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

6) मूल्यानुसार कर क्या है? ''मूल्य रेखा'' पर इस प्रकार के कर का क्या प्रभाव है? यह उत्पादक को कैसे प्रभावित करता है?

.....

.....

.....

.....

7) शब्द ''लाभ'' की परिभाषा कीजिए। किसान-उत्पादक के लाभ के स्तर पर कर के प्रभाव बताइए। किस तरीके से इस कर के उच्च स्तर का प्रभाव एकमुश्त कर के समान होता है?

.....

.....

.....

.....

23.3 कृषि आय के लिए कर नीति

भारत में श्रम बल का बहुत बड़ा वर्ग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित बना हुआ है, परंतु कृषि से प्रति व्यक्ति आय अभी भी कम बनी हुई है। अर्थव्यवस्था की समग्र प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कृषि से प्रति व्यक्ति आय कम ही है। वैसे भारत में प्रति व्यक्ति आधार पर ''कृषि श्रमिकों की आय भी समय के चलते बढ़ रही है। कृषि में निम्न प्रति व्यक्ति आय सापेक्ष निम्न कृषि

उत्पादकता के कारण है जिसे आप पहले ही इकाई 13 (उपभाग 13.4.1) में अध्ययन कर चुके हैं। स्मरण करने के लिए इस स्थिति के सहायक कुछ निश्चित कारक हैं : (i) छोटे और सीमांत वर्ग की विशाल संख्या द्वारा धारित जोतों के छोटे आकार, (ii) निजी पूँजी निवेश के लिए छोटे किसानों की कम क्षमता, (iii) संस्थागत ऋण की अपर्याप्त उपलब्धता, आदि। परिणामस्वरूप इस सेक्टर की निम्नलिखित लक्षणों से पहचान बनी रही : (i) अल्परोजगार का उच्च स्तर (अर्थात् कामगार उससे अपेक्षाकृत बहुत कम काम पाते हैं जितना वे करने में सक्षम हैं), (ii) भूमि का समताहीन वितरण, (iii) कम मज़दूरी आदि। इस स्थिति में कृषि आय के कराधान का विषय विवादास्पद रहा है। सेक्टर से आय पर कर लगाने पर कोई स्पष्ट नीति न होने की स्थिति के परिणामस्वरूप सरकार को निवेश योग्य अधिशेष की हानि हो रही है। दो प्रमुख मुद्दों का, जिनके कारण कृषि करों पर नीति निरूपण में बाधा उत्पन्न हुई है, निर्धारण निम्न प्रकार हो सकता है:

कृषि आय : शब्द की परिभाषा फार्म सेक्टर कार्यों से (प्रसंस्करण अवस्था से पूर्व) अर्जित आय के रूप में किया गया है। इस प्रकार प्रसंस्करण अवस्था से आगे आय को सही ढंग से कृषीत्तर आय के रूप में माना जाता है जबकि फार्म हाऊस से आय (भले ही यह कृषीत्तर प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जाता हो) कृषि आय के रूप में मानी जाती है। इस प्रावधान से धनी जमींदारों द्वारा अपने उपयोग के लिए भूमि का उपयोग बताकर कर वंचना की गुंजाइश होती है। साधारणतया द्वितीयक कार्यों, जैसे मिट्टी हटाना, खुदाई आदि सहित भूमि पर (जैसे खेती, फसल उगाई) सभी बुनियादी कार्यों से आय को कृषि आय समझा जाता है और कर से छूट होती है। परंतु वृक्षों की बिक्री, पशुओं के प्रजनन, मत्स्य पालन कार्यों, कुक्कट पालन से आय को भी कृषि आय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पिछले वर्षों के दौरान इस तथ्य के कारण कि कृषि राज्य का विषय है, कृषि कराधान पर निर्णय बहुत से राजनीतिक/क्षेत्रीय कारकों के दबाब में रहा है। कुछ राज्यों में केवल भूमि कर समाप्त कर दिया गया है, तो अन्य राज्यों की अवस्था लगभग ऐसा ही है (क्योंकि कई वर्षों से कराधान की दर संशोधित नहीं की गई है)। इन संकल्पनात्मक और नीतिगत कमियों को ध्यान में रखते हुए कृषि आय और उसके कराधान का मुद्दा बहुत से छोटे और सीमांत किसानों की कीमत पर बड़े किसानों को लाभ देता जा रहा है, जबकि प्रत्येक सेक्टर को कराधान तथा निजी निवेश द्वारा अपने लिए निवेश योग्य अधिशेष उत्पन्न करना चाहिए। इसने सामान्यतया भारतीय कृषि विकास को, और विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को, प्रभावित किया हुआ है।

कृषि में लगान आय: कृषि से आय पर कर लगाने से संबंधित विवादास्पद मुद्दा स्वयं खेती नहीं की गई भूमि से 'लगान' आय का है। यद्यपि भारत में काश्तकारी व्यापक रूप से प्रचलित है फिर भी जो जमींदार भूमि को पट्टे पर देते हैं, वे काफी समृद्धशाली और प्रभावशाली होते हैं। अतः लगान आय को छूट देने की नीति का कोई औचित्य नहीं है। सरकार की कृषि कर नीति की इस कमी को महसूस करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि उन व्यक्तियों द्वारा कृषि कार्यों से अर्जित आय पर कर लगाया जाना चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से स्वयं उत्पादन कार्य से जुड़े हुए नहीं हैं। इस स्थिति का सामना

करने के लिए कृषि को प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत लाने के लिए प्रयास किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

क) **स्वामित्व के आधार पर भूमि पर कर लगाना –** यह तर्क देते हुए कि सीमांत और छोटे किसानों को कर से छूट होनी चाहिए, यह प्रस्ताव कर लगाने के मानदंड के रूप में भूमि के स्वामित्व पर बल देता है। संक्षेप में, प्रस्ताव सभी दूरवासी जमींदारों को कर के दायरे में लाने का प्रयास करता है।

ख) **कृषि आय के रूप में बताई गई कृषीत्तर आय** – रिपोर्टिंग की इस समस्या से निपटने के लिए प्रस्ताव में तर्क दिया गया है कि भूमि पर कर उस पर उगाई गई फसलों के स्वरूप के अनुसार लगाया जाना चाहिए। जहां कहीं फसल कार्यों के लिए इसे प्रयुक्त नहीं किया गया है, उसके प्रयोग को ध्यान न रखते हुए भूमि कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। यह भी विवाद है कि इस प्रकार का कर मृदा की संभावित उर्वरता के आधार पर होना चाहिए, मृदा जितनी अधिक उर्वर हो, उतना अधिक कर लगाया जाना चाहिए। इससे जुड़ा हुआ सुझाव है कि ऐसी भूमि की तुलना में, अधिक कीमती फसलों वाली भूमि पर उच्चतर दर से कर लगाया जाना चाहिए, जिसमें अलाभकारी फसल उगाई जाती हैं।

उपर्युक्त विषयों पर वाद-विवाद पिछली कुछ दशाब्दियों से चला आ रहा है, कृषीत्तर प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का उपयोग, जैसे विशाल फार्म हाऊस, होटल, पर्यटन, अन्य औद्योगिक प्रयोजन आदि पर कर से छूट लेने का प्रयास अभी जारी है। दूसरे शब्दों में, छोटे और सीमांत किसानों की गरीबी के साथ-साथ धनी किसान फसल कार्यों में प्रयुक्त नहीं की गई अपनी भूमि से अर्जित आय से कर छूट का लाभ भोग रहे हैं। इस स्थिति से नीति की त्रुटियां स्पष्ट होती हैं। यह सत्य है कि औसत भारतीय किसान दुर्बल वर्ग का सदस्य है और उसे कर लाभ प्रदान किए जाने चाहिए। परंतु ये लाभ कृषि आय संबंधी नीतिगत कमियों के कारण अधिकतर अपात्र को जाता है।

23.4 साहाय्य

साहाय्य कर का विपरीत है। कर किसानों की आय घटाता है तो दूसरी ओर, आदान और कीमतों पर साहाय्य किसानों की आय बढ़ाता है। यह आदान अधिक सस्ता बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से तथा उत्पाद लाभकारी बनाकर प्रत्यक्ष रूप से लाभ बढ़ाता है। हम प्रचलित कृषि साहाय्यों के औचित्य और प्रकारों पर चर्चा द्वारा देखेंगे यह कैसे होता है।

23.4.1 साहाय्यों का औचित्य

भारत जैसी कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था में, जहां छोटे और सीमांत प्रकार के किसानों की बहुत बड़ी संख्या है, कृषि साहाय्य का औचित्य आसानी से समझा जा सकता है। बहुत से किसानों की आय जीवन निर्वाह के स्तर के समीप है, इसलिए साहाय्य उन्हें उत्पादन और उपभोग कार्यों के निर्वहन में लगाए रखता है। यद्यपि साहाय्य के लिए यह आधारभूत तर्काधार है, फिर भी कई अन्य उद्देश्य हैं जिनसे किसानों को साहाय्य दिए जाते हैं।

क) **उत्पादकता वृद्धि** : बीज, उर्वरक, कीटनाशक, जल, विद्युत आदि आदानों पर साहाय्य किसानों के लिए आदानों को अधिक सस्ता बनाता है। इसके फलस्वरूप किसानों के लिए प्रति इकाई उत्पादन की लागत कम होती है। इसलिए उत्पादकता स्तर बढ़ाने में इसका प्रभाव होता है।

ख) **प्रौद्योगिकी का संवर्धन** : उन्नत आदानों और प्रौद्योगिकी के प्रवर्तन के लिए सरकार साहाय्य प्राप्त फार्म मशीनरी (जैसे हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, सिंचाई यंत्र) या तो सीधे या कम ब्याज दरों पर दिए गए बैंक ऋण के माध्यम से प्रदान कर सकती है। इससे प्रौद्योगिकी प्रयोग के प्रोत्साहन में सहयता मिलती है।

ग) **आधारभूत संरचना विकास** : कुछ फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा कीमत और अन्य साहाय्यों का विस्तार किया जा सकता है। यह निम्नलिखित रूप से हो सकता है : (i) तैयार फसल विपणन के लिए सस्ती परिवहन व्यवस्था, (ii) भंडारण सुविधाओं की स्थापना, (iii) उच्चतर प्रापण मूल्य देना, आदि। खास फसलों के संवर्धन के अलावा, इस प्रकार के साहाय्यों से क्षतियां कम कर और लाभ बढ़ाकर किसानों का प्रतिलाभ सुधारने में अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है।

घ) **निर्यात संवर्धन** : निर्यात के लिए उत्पादन करने के लिए साहाय्य प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार का साहाय्य किसान को विश्व बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी होने में सहायक होता है। यह उन्हें विश्व बाजार का अधिक बड़ा भाग प्राप्त करने में भी सहायक होता है।

23.4.2 साहाय्यों के प्रकार

साहाय्यों के कई प्रकार हो सकते हैं जिनमें से प्रत्येक का उद्देश्य निश्चित प्रयोजन प्राप्त करना है। यहां हम उन पर संक्षेप में चर्चा करेंगे।

क) **आदान साहाय्य** : साहाय्य बाजार कीमत की तुलना में कम कीमत पर आदानों के वितरण द्वारा प्रदान किया जा सकता है। आदान साहाय्य प्रति इकाई साहाय्य की भांति है क्योंकि ये उत्पादन की प्रति इकाई लागत को नीचे लाता है। इसलिए ऐसे साहाय्य का प्रभाव सीमांत और औसत लागत पर होगा, इससे लाभ में वृद्धि होगी। ये किसानों को अधिक उत्पादन करने के लिए भी प्रेरित करते हैं, जिससे कृषि माल की कीमत घटती है। कई प्रकार के साहाय्य इस श्रेणी में सूचीबद्ध किए जा सकते हैं।

i) **उर्वरक साहाय्य** : यह किसानों को सस्ते रासायनिक (या अरासायनिक) उर्वरकों के वितरण द्वारा दिए जाते हैं। यह विनिर्माताओं को भी अपनी लागत कम करने के लिए राहत के रूप में भी दिया जाता है ताकि वे अपनी कीमतें कम रखें। इसलिए इस प्रकार का साहाय्य सुनिश्चित करता है : (क) किसानों को सस्ता आदान; (ख) विनिर्माता को युक्तियुक्त प्रतिलाभ, (ग) उर्वरक की कीमतों में स्थिरता, और (घ) उर्वरक की नियमित आपूर्ति (अर्थात् उपलब्धता)। कुछ मामलों में इस किस्म का साहाय्य उर्वरक के आयात पर सीमा शुल्क हटाकर दिया जाता है।

ii) **सिंचाई साहाय्य** : किसानों को सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करने के

लिए सरकार द्वारा वहन की गई लागत है। यह प्रति इकाई प्रचालन और सिंचाई की आधारभूत संरचना के अनुरक्षण लागत तथा किसान से वसूल किया गया वास्तविक प्रति इकाई सिंचाई प्रभार के बीच अंतर है। सरकार नहरों और बांधों का निर्माण कर इस प्रकार की साहाय्य का वहन करती है और किसानों को दी गई सिंचाई सुविधा के लिए कम कीमत वसूलती है।

iii) **विद्युत साहाय्य** : यह स्वरूप में सिंचाई साहाय्य के समान है। इसका संबंध विद्युत सृजन और वितरण की प्रति इकाई लागत तथा उसके उपयोग के लिए किसानों से वसूली गई कीमत के बीच अंतर से है। ऐसे साहाय्य का उद्देश्य किसानों को पम्पसेट, बेध कूप (bore well) आदि में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

iv) **बीज साहाय्य** : इसका संबंध किसानों को कम कीमत पर सरकार द्वारा उच्च उपज देने वाले बीज प्रदान करने से है। इसमें ऐसे बीजों का उत्पादन करने के लिए अनुसंधान और विकास (R&D) में निवेश भी शामिल है।

v) **ऋण साहाय्य** : इसका संबंध किसानों से लिए गए ब्याज और ऋण देने की वास्तविक लागत के बीच अंतर से है। इसमें अन्य लागतें, जैसे डूबी रकम को बट्टे खाते में डालना, प्रशासनिक व्यय आदि भी शामिल हैं। सरकार इस प्रकार से साहाय्य प्रदान कर सकती है : (क) विशेष रूप से कृषि ऋण देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक बैंक स्थापित करने पर आवर्ती व्यय द्वारा, (ख) ब्याज की कम दर लगाकर, (ग) ऋण की शर्तों में ढील देकर, जैसे सहवर्ती आवश्यकताएं आदि।

ख) **कीमत साहाय्य** : यह उन कीमतों के बीच अंतर है जिस कीमत पर सरकार किसानों से खाद्यान्न खरीदती है तथा जिस कीमत पर PDS के माध्यम से वितरित करती है। इस किस्म का साहाय्य सरकार द्वारा बाजार भाव कम होने पर किसानों को हानि से बचाने के लिए दिया जाता है। इस प्रकार की स्थिति में सरकार किसानों से बाजार भाव की अपेक्षा अधिक कीमत पर खरीदती है। इस किस्म का साहाय्य मूल्यानुसार कर के विपरीत है (जिसका उत्पाद और लाभ पर परिवर्तक प्रभाव होता है) क्योंकि यह किसान का लाभ बढ़ाता है और उन्हें अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

ग) **आधारभूत संरचना, विकास और फसल संवर्धन** : कृषि कार्यों के दक्षतापूर्वक प्रचालन के लिए अच्छी सड़कें, शीत भंडारण की सुविधाएं, विद्युत की नियमित आपूर्ति, बाजार सूचना सेवा, परिवहन सेवाएं आदि महत्त्वपूर्ण हैं। ऐसी सार्वजनिक सेवाओं की स्थापना का व्यय केवल सरकार द्वारा वहन किया जाता है। ऐसी सार्वजनिक सेवाओं की लागत भी बहुत अधिक होती है जिसे केवल सरकार द्वारा वहन किया जा सकता है। ऐसी सेवाएं ''सार्वजनिक माल'' के प्रभाव क्षेत्र हैं क्योंकि ऐसी सुविधाओं का लाभ उस क्षेत्र में सभी किसानों को मिलता है। इसलिए ऐसा निवेश किसानों को उनकी क्षतियां न्यूनतम कर अप्रत्यक्ष साहाय्य प्रदान करना है जो अन्यथा ऐसी महत्त्वपूर्ण सेवाओं के अभाव में किसानों के लिए बहुत अधिक हो सकती है।

घ) **निर्यात साहाय्य** : इस किस्म का साहाय्य किसानों को निर्यात बाजार के लिए उत्पादन प्रोत्साहन करने के लिए दिया जाता है। ये विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायता करते हैं। जैसाकि हमने पहले नोट किया है कि निर्यात संवर्धन करना महत्त्वपूर्ण है ताकि हम कृषि में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति का लाभ ले सकें और विश्व बाजार में स्थान प्राप्त कर सकें। इसलिए सरकार द्वारा साहाय्य प्रदान कर कृषि निर्यात को प्रोत्साहित किया जाता है। परंतु घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति को पर्याप्त ध्यान देकर यह उद्देश्य प्राप्त करना महत्त्वपूर्ण है।

हमें ध्यान में रखना चाहिए कि यद्यपि साहाय्य कुछ किसानों का लाभ स्तर बढ़ाते हैं परंतु यह उन कृषि श्रमिकों को किसी भी तरीके में लाभ नहीं देते हैं जो कृषि में लगे हुए व्यक्तियों के लगभग 40 प्रतिशत है। उन्हें विशेष रूप से 'भूमिहीन श्रमिक' कहा जाता है। इस प्रकार यदि सरकार का प्रयोजन सबसे अधिक गरीब वर्ग के रहन-सहन की दशा सुधारना है तो इसे साहाय्य से भी आगे जाना चाहिए। इसके लिए इस न्यूनतम आय अधिनियम प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करना, बढ़ती कीमतों की प्रतिपूर्ति के लिए कृषि मजदूरी से नियमित संशोधन गंभीरतापूर्वक भूमि सुधार, आदि क्रियान्वित करने चाहिए। भूस्वामी किसानों के लिए भी सस्ता पम्पसेट, उर्वरक, बिजली, आदि प्राप्त करने के लिए किसानों के पास भूमि और पूँजी की न्यूनतम मात्रा होनी चाहिए। क्योंकि नई प्रौद्योगिकी संसाधनों के संबंध में प्रयोग के पैमाने से निरपेक्ष (अर्थात् उत्पादता संसाधनों की कुछ इष्टतम मात्रा से सुधरती है), इसलिए साहाय्यों ने एक बार फिर धनी किसानों को ही लाभ पहुंचाया है। गरीब किसान की दशा न केवल बहुत नहीं सुधरी है बल्कि बहुत मामलों में वह आदानों की कीमत बढ़ने से कारण अधिक गरीब हुआ है। वह खाद्य कीमतों में वृद्धि से भी प्रभावित हुआ है क्योंकि वह खाद्य मदों का वास्तविक खरीददार है। इसके अलावा, साहाय्य सरकार के व्यय ढांचे में प्रमुख समस्या रहे हैं। खाद्य साहाय्य (सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचालन के कारण) और आदान (विशेषकर उर्वरक) भारत में कुछ साहाय्यों के मुख्य घटक हैं। विद्युत, सड़क परिवहन और सिंचाई जैसे सेक्टरों में अल्प उपभोक्ता प्रभार ने राज्य सरकारों के बजटों को क्षति पहुंचाई है परंतु पिछले वर्षों के दौरान यह घटा है। फिर भी उपभोक्ता प्रभारों को युक्तिसंगत बनाना और ऐसे तरीके विकसित करना जिससे साहाय्य केवल वास्तविक जरूरतमंदों को ही लक्षित हो, के लिए अत्यंत सावधानी के साथ प्रयास करना आवश्यक है।

23.4.3 अंतर्राष्ट्रीय प्रोफाइल

OECD देशों की तुलना में भारत में कृषि साहाय्य काफी कम है। तालिका 23.1 अन्य विकसित देशों से कृषि में भारत द्वारा दिए गए साहाय्यों की तुलना दी गई है। यद्यपि प्रस्तुत आंकड़े 1999 तक के हैं, फिर भी ये हमें बताते हैं कि कृषि के लिए हमारे साहाय्य अन्य उन्नत देशों के कृषि साहाय्य की तुलना में बहुत कम हैं। साहाय्यों के प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय (जो मुख्यतया WTO अनिवार्यताओं के कारण है और जिस पर आप इस पाठ्यक्रम की इकाई 27 में अध्ययन करेंगे) और राजकोषीय विवेकशीलता पर घरेलू दबावों के संदर्भ में बहुत वाद-विवाद हुआ है। उनका तर्क है कि साहाय्य बाजार को दक्षतापूर्वक संसाधन आबंटित नहीं करने देते और इस प्रकार कीमतें बिगाड़ देते हैं। अन्य

ने तर्क दिया कि इससे राजकोषीय घाटा उच्चतर होता है जिसके कारण अधिक स्फीति, भुगतान संतुलन कठिनाइयां और विनिमय दर में गिरावट होती है। यह भी तर्क दिया जाता है कि साहाय्यों से सार्वजनिक निवेश कम होता है, जिसका परिणाम अल्प पूँजी निर्माण होता है (अर्थात् सरकार के पास उपलब्ध संसाधन सीमित होने के कारण, क्योंकि साहाय्यों पर उस सीमा तक संसाधन खर्च हो जाते हैं कि आधारभूत संरचना विकास के लिए उनकी उपलब्धता कम हो जाती है)। एक संबद्ध तर्क भी है कि साहाय्यों का ''क्षमता निर्माण'' में योगदान नहीं होता है जबकि दक्षता और आधारभूत संरचना विकास कार्यक्रमों पर व्यय किए गए संसाधन बेहतर उत्पादनकारी कार्य के लिए लाभभोगियों की क्षमता बढ़ाकर इनमें वृद्धि करते हैं। परंतु जैसाकि हमने ऊपर देखा है, साहाय्य अल्पकालिक स्वरूप के बहुत से उपयोगी प्रयोजन पूरा करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए साहाय्यों के स्वरूप और स्तर परिवर्तन से पूर्व निर्णय उनके परिणामों के समुचित ढंग से मूल्यांकन करने के बाद किया जाना चाहिए।

तालिका 23.1 : OECD देशों और भारत में कृषि साहाय्य (अमरीकी डालरों में)

देश	1966–68		1997		1998		1999	
	प्रति किसान	प्रति हेक्टेयर	प्रति किसान	प्रति हेक्टेयर	प्रति किसान	प्रति हेक्टेयर	प्रति किसान	प्रति हेक्टेयर
कनाडा	12000	75	7000	42	8000	48	9000	52
यूरोप	11000	707	16000	815	18000	890	17000	831
जापान	15000	10048	21000	10211	22000	10005	26000	11792
संयुक्त राज्य अमेरिका	17000	98	12000	73	19000	116	21000	129
OECD	11000	187	10000	189	11000	209	11000	218
भारत	11	8	55	43	61	46	66	55

स्रोत : कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार (http//agricoop.nic/statestics/stock2htm)

बोध प्रश्न 2

नीचे रिक्त स्थान में अपना उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए।

1) वे दो मुख्य मुद्दे क्या हैं जिनके कारण भारत में कृषि कर पर सुस्पष्ट नीति नहीं बन पाई है? इन दो में से आप किसे कृषि कराधान पर नीति बनाने में संकल्पनात्मक कमी मानते हैं? क्यों?

.....

.....

.....

.....

2) किन दो कारणों से भारत में कालांतर में ''भूमि कर'' वास्तविक रूप से स्थिर रहा है? किस तरीके में इसने भारतीय कृषि विकास को प्रभावित किया है?

.....

.....

.....

.....

3) उपर्युक्त प्रश्न 1 के लिए निर्धारित दो मुद्दों में कौन भारतीय कृषि में काश्तकारी प्रणाली से जुड़ा है? युक्तिसंगत आधार के अभाव के कारण इसकी आलोचना किस आधार पर की गई है?

.....

.....

.....

.....

4) कृषि को प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत लाने के लिए दो प्रस्ताव क्या हैं? इनमें से कौन-सा प्रस्ताव सिद्धांत रूप विभेदकारी है? कैसे?

.....

.....

.....

.....

5) साहाय्य किस प्रकार करों के विपरीत हैं? भारतीय कृषि की कौन-सी विशेषता कृषि साहाय्यों के लिए ''आधारभूत औचित्य'' प्रदान करती है?

.....

.....

.....

.....

6) क्या आप सहमत हैं कि साहाय्यों की प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने में भूमिका है? कैसे?

.....

.....

.....

7) आदान साहाय्य के चार प्रकार बताइए। वे किसानों का लाभ बढ़ाने में कैसे योगदान करते हैं?

.....

.....

.....

.....

8) कौन-सा आदान साहाय्य प्रौद्योगिकी अंगीकरण को बढ़ावा देता है? कैसे?

.....

.....

.....

.....

9) कौन-से साहाय्य में ''सार्वजनिक माल'' का स्वरूप होता है? यह किसानों के लिए किस प्रकार लाभदायक है?

.....

.....

.....

.....

10) ''निर्यात साहाय्य'' प्रदान करने के पीछे उद्देश्य बताइए।

.....

.....

.....

.....

11) क्या कृषि पर आश्रित सभी वर्गों के व्यक्ति साहाय्यों से लाभांवित होते हैं? यदि नहीं, तो इस विसंगति के उन्मूलन के लिए किस दिशा में प्रयास करने आवश्यक हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

12) साहाय्यों के कारण उत्पन्न अन्य समस्याएं क्या हैं? इस प्रतिकूल स्थिति को सुधारने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं?

.....

.....

.....

.....

13) 1990 के दशक के बाद के वर्षों में भारत में प्रति किसान और प्रति हेक्टेयर साहाय्य की अन्य विकसित देशों से तुलना कैसे की गई है?

.....

.....

.....

.....

14) कृषि में साहाय्यों के विरुद्ध दिए गए तीन तर्क क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

23.5 कृषि बीमा

बीमे का उद्देश्य जोखिम को भिन्न-भिन्न उत्पादकों और समय अवधियों में विभाजित करने से है। बीमाकर्त्ता को प्रीमियम कही जाने वाली कुछ राशि प्रति वर्ष या माह देकर उत्पादक संभावित घटना के निर्दिष्ट कारकों के कारण उत्पादन में हुई किसी भी क्षति की प्रतिपूर्ति बीमाकर्त्ता से प्राप्त कर सकता है। प्रीमियम की राशि बीमाकृत राशि (वह राशि जिसका क्षति की दशा में उत्पादक को भुगतान किया जाता है) के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती है। बीमा कंपनी लाभ कमाती है, क्योंकि कोई भी क्षति या हानि सभी उत्पादकों को नहीं हो सकती है। इस प्रकार केवल कुछ ही किसानों को दावा की गई हानि का भुगतान किया जाएगा जो अन्य उन उत्पादकों से प्राप्त प्रीमियम से पूरा किया जा सकता है जिन्हें उत्पाद में कोई हानि नहीं हुई है। इसके अलावा, हानि सभी अवधियों में नहीं होती, अतः किसी समय विशेष में हुई हानि की क्षतिपूर्ति का भुगतान अन्य अवधियों में प्राप्त प्रीमियम की राशि में से हो सकता है। यद्यपि यह तर्क सामान्यतः और कुछ सीमा तक कृषि में भी काम करता है, परंतु हमें नोट करना चाहिए कि कृषि क्रियाओं में कुछ खास विशेषताएँ होती हैं, जिनके कारण बीमा कंपनियां अधिक सतर्क रहती हैं। ये हैं : (क) क्षेत्र में सभी किसानों को होने वाली फसल क्षति की अधिक संभावना; और (ख) किसानों के कार्यकलाप की

निगरानी करना कठिन है क्योंकि खेती कार्य लंबे समय तक और विस्तृत भू-भाग में फैले होते हैं। इस कारण से जब किसान की निगरानी नहीं हो रही हो, वह ऐसे कार्य कर सकता है, जो उत्पादन के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं और इसलिए बीमा कंपनी को देयता में ''नैतिक संकट'' की समस्या का सामना हो सकता है। ऐसे मामलों में, बीमा कंपनी को प्रत्याशित की अपेक्षा अधिक हानि के लिए भुगतान करना होगा जो उसे दिवालिया भी कर सकता है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्र कृषि बीमा बहुत देशों में सफल नहीं रहा है। फिर भी, कृषि बीमा के महत्त्व को व्यापक स्तर पर स्वीकारा गया है और इसका विभिन्न देशों में तथा क्षेत्रों में प्रसार हो रहा है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि बीमाकृत किसान अबीमाकृत किसानों की अपेक्षा अनेक उपायों का प्रयोग कर बहुत अधिक उत्पादकता पाने के प्रयास करते हैं। सुविचारित उत्तरदायित्वपूर्ण कार्रवाई का ऐसा तरीका सेक्टर के दीर्घकालिक रूप से आत्मनिर्भर होने का संकेत देता है जिसके प्रति सरकार और बीमा सेक्टर को कार्य करना चाहिए। भारत में, सरकार और कुछ निजी कंपनियों ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान बहुत-सी कृषि बीमा योजनाएं प्रारंभ की हैं। हम संक्षेप में, इस भाग में उनकी समीक्षा करेंगे।

i) **फसल बीमा योजना (CIS) 1972-78** : यह विशिष्ट केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित भारत में प्रारंभ की गई बीमा योजनाओं में से एक है। योजना खास फसलों, जैसे मूंगफली, H4 कपास, गेहूँ और आलू पर लागू की गई। योजना को स्वैच्छिक आधार पर और छह राज्यों में शुरू किया गया था। लगभग 3000 किसानों को योजना में शामिल किया गया। योजना के अधीन निपटाए गए वास्तविक दावों की राशि (0.38 करोड़ रुपये) एकत्र की गई कुल प्रीमियम राशि (0.05 करोड़ रुपये) से बहुत अधिक थी। ''प्रीमियम और दावों'' का अनुपात 1 : 76 था।

ii) **प्रायोगिक फसल बीमा योजना (1979-85)** : यह योजना क्षेत्र केंद्रित थी और इसमें अनाज, मोटे अनाज, तिलहन, कपास, आलू और चने शामिल किए गए। योजना में छोटे और सीमांत किसानों के लिए 50 प्रतिशत सहायता के साथ ऋणी किसानों को स्वैच्छिक आधार पर शामिल किया गया। इसमें कुल 6.23 लाख किसानों को शामिल किया गया। एकत्र किया गया कुल प्रीमियम (1.95 करोड़ रुपए) निपटाए गए कुल दावों (1.56 करोड़ रुपए) से अधिक था। इस प्रकार, प्रीमियम से दावे का अनुपात 1 : 0.8 रहा।

iii) **वृहद फसल बीमा योजना (1985-99)** : यह योजना भी क्षेत्र केंद्रित थी और इसमें खाद्यान्न तथा तिलहन शामिल थे। योजना सभी ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य रूप से की गई। इसके अंतर्गत कुल 7.63 लाख किसान थे। निपटाए गए दावों की राशि (2303 करोड़ रुपये) थी जो एकत्र की गई प्रीमियम की कुल राशि (404 करोड़ रुपये) से कहीं ज्यादा थी। परिणामस्वरूप प्रीमियम दावों का अनुपात 1 : 5.7 था।

iv) **प्रायोगिक फसल बीमा योजना (1997-98)** : इस क्षेत्र-योजना में अनाज, दलहन और तिलहन थे। कर्जदार किसानों के अलावा और कर्जदार छोटे और सीमांत किसानों के लिए लागू इस योजना के अधीन लगभग 4.78

लाख किसान थे। निपटाए गए दावे (39.78 करोड़ रुपये) कुल एकत्र किए गए प्रीमियम (2.86 करोड़ रुपए) से बहुत अधिक थे। इस प्रकार, प्रीमियम दावे का अनुपात 1 : 13.9 था।

v) **राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (1999-आज तक)** : यह योजना व्यक्ति और क्षेत्र दोनों पर केंद्रित है। इसमें सभी किसानों को दस प्रतिशत साहाय्य दिया जाता है। योजना में खाद्यान्न, तिलहन, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल की गई हैं। इसमें अब तक की सभी योजनाओं से अधिक (971 लाख) किसान हैं। इसके अलावा, ''प्रीमियम निपटाया गया दावा'' अनुपात 2944 : 9857 (करोड़ रुपये) रहा है। यह भी 1 : 3.3 (प्रतिकूल) है।

vi) **फार्म आय बीमा योजना (2003-04** : यह ऐसी योजना थी जो अनिवार्य रूप से ऋणी किसानों के लिए थी, उन्हें उत्पादन और बाजार जोखिमों के विरुद्ध आश्वस्त करने के लिए इसे एक वर्ष के लिए प्रचलित किया गया था। यह क्षेत्र केंद्रित योजना थी, इसमें कुल 2.22 लाख किसानों की गेहूँ और चावल की फसलें शामिल थीं। यह दूसरी योजना है जिसके लिए प्रीमियम (15.68 करोड़ रूपये) से दावे (1.5 करोड़ रुपये) का अनुपात अनुकूल (1 : 0.10) था।

vii) **मौसम/वर्षा बीमा योजना (2003-04 से आज तक)** : एक विशिष्ट केंद्रित योजना है जिसमें विनिर्दिष्ट खंडों में प्राप्त वर्षा पर आधारित सभी किसान शामिल थे। यह खाद्यान्न, तिलहन, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसल, जैसे उत्पादों के लिए थे। इसमें कुल 5.39 लाख व्यक्ति शामिल थे।

बीमा योजनाओं में शामिल रहे किसानों की संख्या अनुमानित कुल संख्या के 15 प्रतिशत कम होने से योजनाओं के उपर्युक्त ब्यौरे (भारत में पिछले चार दशकों के दौरान क्रियान्वित) हमें बताते हैं कि योजनाएं बहुत अधिक राज्य समर्थित हैं। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में, वांछित दिशा ले जाने के लिए भारत में कृषि बीमा को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है।

बोध प्रश्न 3

नीचे रिक्त स्थान में अपना उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए।

1) कृषि बीमा की तीन खास विशेषताएँ बताइए जो इसे साधारणतया लाभ निरपेक्ष उद्यम बनाती हैं।

.....

.....

.....

.....

2) कृषि सेक्टर में उपर्युक्त विशेषता होने के बावजूद इसके आगे चलकर आत्मनिर्भर होने की क्षमता के महत्त्व पर प्रकाश डालने के लिए क्या तर्क दिए जाते हैं?

.....

.....

.....

.....

3) पिछले चार दशकों की अवधि में भारत में क्रियान्वित सात कृषि बीमा योजनाएं क्या हैं? इन अधिकांश योजनाओं में क्या खास विशेषता सामान्य रूप से पाई जाती है?

.....

.....

.....

.....

4) अभी तक क्रियान्वित की गई सभी बीमा योजनाओं में से कौन दो योजनाएं उनके ''दावे से प्रीमियम'' का अनुकूल अनुपात के लिए उल्लेखनीय हैं? ये अनुपात क्या हैं? शेष बीमा योजनाओं में से राष्ट्रीय बीमा योजना में सबसे अधिक उल्लेखनीय बात क्या है?

.....

.....

.....

.....

23.6 सारांश

भारत में औसत कृषि आय बहुत कम है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने सेक्टर पर कर न लगाने की नीति चुनी है। परंतु धनी किसान ऐसी छूट से अधिक से अधिक लाभान्वित होते हैं। यह कृषीत्तर धनी वर्ग के लिए भी सत्य है, जो अपनी आय कृषि से दिखाते हैं और लाभ कमाते हैं। भूमि कर तर्कसंगत बना कर और कर दायरे में दूरवासी जमींदारी को लाकर इस स्थिति को सुधारना आवश्यक है। सरकार विभिन्न कारणों से कृषि साहाय्य देती है। साधारणतया साहाय्य उत्पाद और लाभ में वृद्धि करते हैं और कुछ मामलों में कीमत कम करते हैं। भारत में साहाय्य ने बहुत संकटपूर्ण अवसरों पर अपना-अपना प्रयोजन पूरा किया है तथा गरीब किसानों का जीवन स्तर सुधारने में सहायता की है। परंतु ये चयनात्मक रूप से गरीब किसानों और चुनिन्दा फसलों के लिए दिए जाने चाहिएं। इन सभी में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है कि इसने खाद्य संकट कम किया है। परंतु साहाय्य के असमान वितरण से बहुत असमानता उत्पन्न हुई है। उपाय साहाय्य समाप्त करना नहीं है, बल्कि उन्हें गरीब किसानों और उपभोक्ताओं के लिए समुचित ढंग से लक्ष्यित करना है। अधिकांश भारतीय किसानों की अत्यधिक दरिद्रता और गरीब वर्ग की खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता ने सरकार को बाध्य किया है कि साहाय्यों को जारी रखा जाए। करों और साहाय्यों के

अलावा बीमा उत्पादकों को जोखिम उठाने के लिए विश्वास प्रदान करने में उपयोगी महत्त्वपूर्ण साधन होगा। लगभग चार दशकों के दौरान भारत में बहुत-सी बीमा योजनाएं संचालित हुई हैं। उनमें अधिकांश को भारी राज्य सहायता दी जाती है। परंतु बीमा को सिद्धांत रूप से आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। इसका अभिप्राय किसानों की बड़ी संख्या को छोटे प्रीमियम पर बीमा खरीदना चाहिए और स्वयं को संभावित क्षति से सुरक्षित रखना चाहिए। बीमाकृतों की अपेक्षा क्षतिपूर्ति के दावों की संख्या कम होना बीमा कंपनियों को लाभकारी बनाएगा। परंतु ''प्रीमियम से निपटाया दावों'' का अनुपात देखने पर कृषि में भारतीय बीमा अनुभव प्रतिकूल रहा है। इसके दो अपवाद हैं : (i) प्रायोगिक फसल बीमा योजना (1 : 0.8), और (ii) फार्म आय बीमा योजना (1 : 0.10)। NAIS 1999 में प्रारंभ की गई (और क्रियाशील है) ऐसी योजना है जो प्रीमियम दावे के अपने अपेक्षाकृत कम अनुपात (1 : 3.3) के लिए उल्लेखनीय है। यद्यपि अन्य सभी योजनाओं के प्रीमियम की अपेक्षा दावे तीन गुणा से भी अधिक हैं, इसलिए इस योजना की अपेक्षाकृत निम्नतर देयता महत्त्वपूर्ण है। इस निष्पादन विवरण से स्पष्ट है कि कृषि बीमा को अभी एक लंबी यात्रा करनी है।

23.7 शब्दावली

अपूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार : इसका संबंध उस बाजार से है, जहां उत्पादकों की संख्या कम है माल विभेदनीय है (अर्थात् प्रत्येक उत्पादक ऐसा माल उत्पादन करता है जो दूसरों से कुछ भिन्न होता है) इसलिए प्रत्येक उत्पादक को बाजार कीमत प्रभावित करने की सीमित शक्ति प्राप्त होती है परंतु कीमत बढ़ाई जाती है तो मांग वक्र के अधोमुखी होने के कारण उपज गिरती है।

पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार : इसका संबंध उस बाजार से है जहां सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित माल एकसमान होता है और प्रत्येक उत्पादक बाजार में उत्पादित कुल उत्पाद का बहुत न्यून अंश उत्पादन करता है। इसके फलस्वरूप कोई भी उत्पादक कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता।

कृषि प्रति व्यक्ति आय : GDP में कृषि का अंश 1980 में 39 प्रतिशत से गिरकर 2010 में 18 प्रतिशत हुआ है। कृषि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत भी 1980 में 70 प्रतिशत से गिरकर 2010 में 56 प्रतिशत हुआ है। इससे कृषि प्रति व्यक्ति आय को अंश 1980 में 56 प्रतिशत से गिरकर 2010 में 32 प्रतिशत हुआ है, (यद्यपि प्रति व्यक्ति कृषि आय 1980 में रुपये 4745 से बढ़कर 2010 में रु. 10865 हुई है, अर्थात् तीन दशकों में 2.3 गुणा वृद्धि)। इसके

विपरीत समग्र अर्थव्यवस्था की प्रति व्यक्ति आय 1980 में रु. 8540 से बढ़कर 2010 में रु. 33802 हुई है (अर्थात् तीन दशकों में लगभग 4 गुणा वृद्धि)। इसका अभिप्राय है कि कृषि प्रति व्यक्ति आय अन्य सेक्टरों जैसे विनिर्माण और सेवा सेक्टर की अपेक्षा अधिक धीमी रही है।

सार्वजनिक माल : ये वे माल हैं जिनकी उपयोगिता एक या दो व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहती है, जैसी बेहतर सड़कों जैसे आधारभूत संरचना में सुधार। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति द्वारा ऐसे माल का उपभोग किसी भी अन्य को इसके उपभोग से वंचित नहीं कर सकता है।

कृषि बीमा : यह कृषि क्रियाओं जैसे वर्षा की कमी, फसल विफलता, प्राकृतिक आपदा आदि के लिए प्रदान किया गया बीमा है। अन्य बीमा योजनाओं की भांति बीमा पॉलिसी धारक, बीमा कंपनी को उल्लिखित कारकों से कृषि उत्पाद की क्षति के लिए पॉलिसी धारक को प्रतिपूर्ति के बदले बीमा कंपनी को नियमित अंतरालों पर प्रीमियम देता है। प्रतिपूर्ति राशि को बीमाकृत राशि कहा जाता है।

23.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1) Kapila, U, (ed.), 2009, *Indian Economy Since Independence 2008-09,* Academic Foundation, Delhi.

2) Parikh, K.S., 1997, *India Development Report 1997,* Oxford University Press.

3) Patnaik, U., 1999, *The Long Transition,* Tulika Publications, New Delhi.

4) Raj, K.N., 1990, *Organizational Issues in Indian Agriculture,* Oxford University Press, New Delhi.

23.9 बोध प्रश्नों के उत्तर/संकेत

बोध प्रश्न 1

1) देखिए भाग 23.1 और उत्तर दीजिए।

2) देखिए भाग 23.2 और उत्तर दीजिए।

3) देखिए उपभाग 23.2.1 और उत्तर दीजिए।

4) देखिए उपभाग 23.2.2 और उत्तर दीजिए।

5) देखिए उपभाग 23.2.2 और उत्तर दीजिए।

6) देखिए उपभाग 23.2.3 और उत्तर दीजिए।

7) देखिए उपभाग 23.2.4 और उत्तर दीजिए।

बोध प्रश्न 2

1) देखिए भाग 23.3 और उत्तर दीजिए।

2) देखिए भाग 23.3 और उत्तर दीजिए।

3) देखिए भाग 23.3 और उत्तर दीजिए।

4) देखिए भाग 23.3 और उत्तर दीजिए।

5) देखिए उपभाग 23.4.1 और उत्तर दीजिए।

6) देखिए उपभाग 23.4.1 और उत्तर दीजिए।

7) देखिए उपभाग 23.4.2 और उत्तर दीजिए।

8) देखिए उपभाग 23.4.2 और उत्तर दीजिए।

9) देखिए उपभाग 23.4.2 और उत्तर दीजिए।

10) देखिए उपभाग 23.4.2 और उत्तर दीजिए।

11) देखिए उपभाग 23.4.2 और उत्तर दीजिए।

12) देखिए उपभाग 23.4.2 और उत्तर दीजिए।

13) देखिए भाग 23.1 और उत्तर दीजिए।

14) देखिए उपभाग 23.4.3 और उत्तर दीजिए।

बोध प्रश्न 3

1) देखिए भाग 23.5 और उत्तर दीजिए।

2) देखिए भाग 23.5 और उत्तर दीजिए।

3) देखिए भाग 23.5 और उत्तर दीजिए।

4) देखिए भाग 23.5 और उत्तर दीजिए।